Integration of Rail Road and Water Transport Systems

5583. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission is contemplating to appoint a team to formulate an integrated policy involving road and water transport systems; and

(b) if so, when will it be appointed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) The composition of the proposed High Level Committee and its terms of reference are under finalisation by the Planning Commission in consultation with the Ministries concerned.

Drilling work at Surinsar

5584. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 275 on 15th November, 1977 regardi expenditure on drilling work at Surinsar (J & K) and state:

(a) the steps taken so far for getting suitable machinery, technology etc. for the purpose and when drilling will be resumed at Surinsar;

(b) the countries approached in this regard and response in the matter; and

(c) is it a fact that there is no technical defect in initiation of this work at Surinsar?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). The ONGC has approached the United Nations Development Programme (UNDP) for assistance in getting the necessary expertise and technical know-how for drilling wells under high pressures and temperatures as were encountered in the first well drilled in the Surinsar area by the ONGC. The UNDP has accepted the proposal of the ONGC and has addressed various countries to nominate suitable experts for this purpose. The question of resuming the drilling operations in the area will be examined as soon as the ONGC acquires the suitable expertise and technology.

Report of Railway Accidents Inquiry Committee

5585. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway Accidents Inquiry Committee has started its work;

(b) if so, how many sittings were held so far and the date of each sitting; and

(c) when the Committee is expected to submit its report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) The first sitting of the Committee was held on 27-3-1978.

(c) The Committee has been given six months' time to submit its report from the date it started functioning.

गंगानगर में आरक्षण करने वाले कर्मचारी

5586. **श्री बेगराम चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री गंगानगर (राजस्थान) में आरक्षण और बुकिंग करने वाले केवल दो कर्मचारी हैं जो वहां के आरक्षण सम्बन्धी अधिक काम को सम्भाल नहीं पाते हैं ;

(ख) क्या बीकानेर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या चार है; और

(ग) क्या श्री गंगानगर में कुल मिलाकर 14 रेल डिब्बे हैं जिनके लिए कर्मचारियों को आरक्षण करना पड़ता है और इस काम के लिए कम से कम चार कर्मचारी होने चाहिएं और यदि हां, तो क्या वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी जायेगी और यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) बीकानेर में पांच पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) जी हां । श्री गंगानगर में पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों के दो और पदों के सृजन के प्रस्ताव पर रेल प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

आसाम में मेल का साहेबपुर कमाल जंक्शन पर रुकना

5587. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4–अप और 3–डाऊन आसाम मेल पूर्वोत्तर रेलवे में साहेबपुर कमाल जंकशन पर गत अनेक वर्षों से रुकती रही है ;

(ख) क्या यह गाड़ी अब मंत्रालय के आदेशानुसार उक्त जंकशन पर नहीं रुकती है; और

(ग) क्या लोगों की आशाओं का आदर करते हुए सरकार का विचार उक्त गाड़ी को उस स्टेशन पर खड़ी करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 1–10–77 से पहले ।

(ख) और (ग). 1–4–78 से साहिबपुर कमाल जंक्शन पर 3/4 आसाम मेल गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की गयी है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक ग्रुपों के विरुद्ध मामले

5588. **श्री रामकिशन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत कितने औद्योगिक ग्रुपों के विरुद्ध मामले दायर किये गये थे और क्या जांच पड़ताल के बाद जिन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जायगी ; और

(ख) क्या उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुछ मामले जांच कार्य के पूरा होने से पूर्व ही वापस ले लिए गए थे और यदि हां तो उसकी सूची क्या है और उसके क्या कारण है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) शब्द "औद्योगिक समूह" की एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में, परिभाषा नहीं दी गई है । वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार वे सभी उपक्रम जिनके पास स्वयं की अथवा अपने सम्बन्धित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रु० से कम नहीं की, की परिसम्पत्तियां हों, अथवा जो प्रभाव उपक्रम हों, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । ऐसी परिकल्पना है कि निर्देश "औद्योगिक समूह" का, तात्पर्य एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों से हैं । इस अधिनियम की धारा 10, 27 व 31 के अनुसरण में 288